न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सूरज सिंह नेगी,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 24/2022

प्रविष्टि दिनांक 29.09.2022

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द जाति तेली निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रामलाल पुत्र मूलचन्द जाति तेली निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. बनवारीलाल पुत्र मूलचन्द जाति तेली निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. शिवराज पुत्र मूलचन्द जाति तेली निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

—अपीलांटस

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज.)

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या देवली गांव 4590 द्वारा तहसीलदार देवली दिंनाक 07.12.2021

उपस्थिति : (1) श्री शिवराज टांडी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 12.10.2023

संक्षिप्त में अपील का प्रकार है कि अपीलान्टस की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 4269 रकबा 0.46 हेक्टेयर वाके तन ग्राम देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है जो अपीलान्टस के संयुक्त खातेदारी की अविभाज्य आराजी है जिसमें अपीलान्टस प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है। अपीलान्टस ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि आपसी सहमति से विभाजन करवाने हेतु तहसीलदार देवली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि मौका निरीक्षण किया गया, विभाजन पत्र में वर्णितानुसार मौके पर पक्षकारान काबिज होकर काश्त कर रहे है, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, विभाजन से सभी काश्तकार सहमत है।

(प्रमाणित प्रतिलिपि)
प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा
जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

रिपोर्ट पटवार, जांच भू.अ.नि. एवं सहखातेदारान की सहमति के आधार पर विभाजन [redacted] तहसीलदार ने स्वीकार करते हुए पटवारी हल्का को बंटवारा करने का आदेश पारित [redacted] जिस पर पटवारी हलका ने आपसी बंटवारा पत्र तैयार करके नक्शा शीट में अपीलान्टस के हक व हिस्से के अनुसार अलग अलग रंग भर दिये गये। उसके उपरान्त पटवारी हलका द्वारा नामान्तरकरण नम्बर 4590 दिनाक 07.12.2021 भर कर स्वीकृति हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार ने अपने आदेश दिनाक 07.12.2021 को यह अंकित करते हुए कि "भूमि का व्यावसायिक उपयोग होने के कारण अस्वीकृत है" निरस्त कर दिया। उक्त आदेश को विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि योग्य अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण को खारिज करने का मुख्य आधार यह माना है कि भूमि का उपयोग व्यावसायिक होने के कारण नामान्तरण अस्वीकृत किया जाता है, जबकि उक्त भूमि का विभाजन पत्र अपीलान्टस द्वारा तहसीलदार देवली के समक्ष पेश करने पर तहसीलदार ने अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मौका निरीक्षण किया गया, सभी खातेदार विभाजन पत्र में वर्णितानसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, जिसकी जांच गिरदावर हल्का द्वारा की गई जिसमें भूमि पर काश्त होना माना जाकर रिपोर्ट पेश की गई थी उसके उपरान्त भी तहसीलदार द्वारा मनमाने रूप से भूमि का उपयोग व्यावसायिक मानते हुए नामान्तरकरण को अपने अपीलाधीन आदेश के द्वारा निरस्त किया गया है जिससे उक्त आदेश निरस्त योग्य है। तहसीलदार के समक्ष अपीलांटस द्वारा आपसी सहमति से अपनी भूमि का अपने हक व हिस्से के अनुसार बंटवारा पत्र प्रस्तुत किया गया था और पटवारी हलका व गिरदावर हल्का द्वारा काश्तकारों के मध्य आपसी सहमति से से तकासमा करके नक्शा शीट में उनके हिस्से के अनुसार अलग अलग रंगों से भूमि को प्रदर्शित कर तहसीलदार भू.अ. देवली के आदेशानुसार विभाजन पत्र तैयार किया गया है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा नामान्तरकरण को अस्वीकृत किया है जो विधि विरुद्ध है।

अधीनस्थ तहसीलदार देवली द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो स्वंय ने कोई मौका निरीक्षण किया और न ही सक्षम अधिकारी से मौका रिपोर्ट तलब करवायी और बिना मौके की वास्तविक तथ्यों की जांच करवाये ही मनमाने रूप से भूमि का

(प्रमाणित प्रतिलिपि)

प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपी शाखा
जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

योग व्यावसायिक में होना मानकर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य ब पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में यह अंकित था कि भूमि को मौके पर पक्षकारान बिना किसी विवाद के काश्त कर रहे हैं, यदि भूमि वास्तविक रूप से व्यावसायिक उपयोग में आती तो पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा भूमि पर काश्त होना अंकित नहीं करते परन्तु तहसीलदार जी ने पटवारी व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर उक्त आदेश पारित किया है। अपीलान्टस को उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो सकी थी क्योंकि पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने अपीलान्टस के हक व हिस्से के अनुसार आपसी सहमति से विभाजन पत्र तैयार कर अपीलान्टस के हिस्से के अनुसार अलग अलग रंग भर कर तैयार कर लिया था और विभाजन पत्र पर अपीलान्टस के हस्ताक्षर करवा लिये गये थे जिससे अपीलान्टस ने यही समझा कि उनकी भूमि का विभाजन हो चुका है। दिनांक 16.8.2022 को पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि अपीलान्टस के आपसी विभाजन के नामान्तरकरण को तहसीलदार जी नें अस्वीकार कर दिया जिस पर अपीलान्टस ने नकल आवेदन पेश किया, जिसकी नकल दिनाक 21.08.2022 प्राप्त हुई। उसके पश्चात टोंक आकर विधिक राय प्राप्त कर यह अपील बिना किसी विलम्ब के पेश की जा रही है। अपील पेश करने में यदि फिर भी कोई देरी मानी जाये तो उसे कन्डोन करने के लिए पृथक से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4590 ग्राम देवली गांव द्वारा तहसीलदार देवली दिनांक 07.12.2021 निरस्त किया जाकर अपीलांटस के पक्ष में नामान्तकरण भरने हेतु पत्रावली तहसीलदार देवली को प्रतिप्रेषित करने का आदेश किया जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4590 दिनांक 7–12–2021 ग्राम देवली गांव विधिसम्मत है। तहसीलदार देवली ने भूमि के वाणिज्यिक उपयोग हाने के कारण उक्त नामान्तकरण अस्वीकार किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्टस ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि आपसी सहमति से विभाजन करवाने हेतु तहसीलदार देवली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा मौके अनुसार विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की विभाजन प्रस्ताव में स्पष्ट अंकित हैं कि मौका निरीक्षण किया गया, विभाजन पत्र में वर्णितानुसार मौके पर पक्षकारान काबिज होकर काश्त कर रहे है, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, विभाजन से सभी काश्तकार सहमत है। इसके बावजूद भी तहसीलदार ने अपने

(प्रमाणित प्रतिलिपि)

प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा
जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

...श दिनाक 07.12.2021 को यह अंकित करते हुए कि "भूमि का व्यावसायिक उपयोग होने ... कारण अस्वीकृत है" निरस्त कर दिया। किसी भी रिपोर्ट/दस्तावेज से भूमि का व्यवसायिक ...ग होना सिद्ध नहीं होता है। ना ही तहसीलदार ने अपने निर्णय में मौका निरीक्षण किया जाना अंकित किया है। तहसीलदार देवली द्वारा वास्तविक तथ्यों को दरकिनार करते हुए बिना किसी दस्तावेज के आधार के भूमि का व्यवसायिक उपयोग होना अंकित किया है। अभिभाषक अपीलांट ने भूमि पर काश्त होना सिद्ध करने के लिए संवत् 2076 से 2079 तक की खसरा गिरदावरी पेश की है जिससे भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग होना सिद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 4590 आदेश दिनाक 07.12.2021 तहसीलदार देवली में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर तहसीलदार देवली का आदेश दिनांक 07.12.2021 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4590 रकबा 0.46 हैक्टर वाके तन ग्राम देवली गांव तहसील देवली अस्वीकार किया गया है, को निरस्त किया जाकर तहसीलदार देवली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार मौके की जांच कर तथ्य अंकित करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक

(प्रमाणित प्रतिलिपि)

प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा
जिला कलेक्टर टोंक